न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

(बईजलास श्रीमती प्रीति सिंह पंवार आर ए एस)

प्रकरण संख्या 78 / 2019 प्रार्थनापत्र एलआर

अनवान

1 बालु पिता काना तेली उम्र वयस्क निवासी कुण्डियाकंला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज.

.... **प्रार्थीगण**

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0

..... **विपक्षी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :::– **श्री मुरारी जोशी........ वकील प्रार्थी**

–:: निर्णय ::–

दिनांक 30.05.2019

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम कुण्डियाकंला पटवार हल्का क्षेत्र कुण्डियाकंला तहसील बनेडा स्थित खतौनी संख्या 1046 के आराजी संख्या 748, 749 किता 02 रकबा 11–07 बीघा एंव खतौनी संख्या 394 के आराजी संख्या 107, 754 किता 2 रकबा 21–16 बीघा भूमि जो प्रार्थी एंव अन्य सहखातेदारान के नाम पर संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज राजस्व रेकार्ड है। जो कि प्रार्थी के बाप–दादाओं के वक्त की हो चली आ रही है। किन्तु सेटलमेन्ट की कार्यवाही के दौरान राजस्व कर्मचारीयों ने प्रार्थी के पिता का नाम काना पिता रूपा तेली के स्थान पर रूपा पिता रामा तेली त्रूटीपूर्ण दर्ज राजस्व रेकार्ड कर दिया, तभी से यह लिपिकीय त्रूटी आज दिनांक तक अनवरत जारी है। प्रार्थी के पिता का नाम बतौर सहखातेदार उनके अन्य खाता संख्या 663, 664, 686, 287, 688, 689 में काना पिता रामा तेली सही दर्ज हो चला आ रहा है। प्रार्थी पिता के देहान्त के पश्चात विरासत से इंतकाल प्रार्थी व अन्य के पक्ष में खोल फैसल किया गया। उक्त नामान्तरकरण में भी प्रार्थी के पिता का नाम रूपा तेली दर्ज किया गया है। तदुपरान्त इसी प्रकार प्रथम रोटेशन से बनने वाली जमाबन्दी में भी राजस्व कर्मचारीयों नामान्तरकरण अनुसार ही प्रार्थी के पिता का नाम काना तेली के स्थान पर रूपा तेली कर दिया। यानि राजस्व अभिलेखों की यह भूल अब तक चली आ रही है। जिसे संशोधन की आज्ञा प्रदान की जावें।

अतः ग्राम कुण्डियाकंला पटवार हल्का क्षैत्र कुण्डियाकंला तहसील बनेडा स्थित खतौनी संख्या 1046 के आराजी संख्या 748, 749 किता 02 रकबा 11–07 बीघा एंव खतौनी संख्या 394 के आराजी संख्या 107, 754 किता 2 रकबा 21–16 बीघा भुमि के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम रूपा तेली के स्थान पर काना तेली दर्ज कर, दुरूस्ती किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 15.04.2019 को दर्ज रजिस्टर किया गया विपक्षी की जरिये सम्मन तलबी की गई। किन्तु राज्य पक्ष तहसीलदार बनेडा की

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)